राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 291/2018...जिला...........जयपुर...

मैसर्स मॉडर्न रोड़ मेकर्स प्रा.लि., जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विशेष वृत्त प्रथम, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष** **श्री के.एल.जैन, सदस्य**	
04.04.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री जी.एन.शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वितीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 38(4) के तहत पारित आदेश दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, विशेष वृत–प्रथम, जयपुर द्वारा सृजित मांग राशि रुपये 1,85,56,120/– की वसूली स्थगित करने की प्रार्थना पर रूपये 1,04,18,904/– की वसूली स्थगित करते हुये शेष राशि वसूल किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर व्यवहारी द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अवशेष राशि रुपये 81,37,216/– की वसूली को स्थगित करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवं उचित नहीं है, क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने रोक प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करने के संबंध में कोई विधिक कारण अंकित नहीं किया है। उन्होनें अपीलीय अधिकारी के समक्ष लंबित अपील के निर्णय तक बकाया मांग राशि रुपये 81,37,216/– की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की। विभागीय प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। व्यवसायी कम्पनी द्वारा सड़क निर्माण हेतु सीमेन्ट, आयरन स्टील, बिटुमिन आदि स्वयं खरीद कर पूर्व में किये गये सप्लाई एग्रीमेन्ट के अनुरुप विक्रय मूल्य पर सब कान्ट्रेक्टर्स को माल का विक्रय किया जाकर उस पर कर चुकाया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के Sub Contractor (क्रेता) को खरीद कीमत से कम कीमत पर माल का विक्रय किया जाना बताते हुये आई.टी.सी. को अधिनियम की धारा 18(3A) के तहत रिवर्स किया गया है, परन्तु लगातार..................2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 291/2018..जिला...........जयपुर...

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज -: 2 :-	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.04.2018	धारा 18(3A) के अनुसार माल का **'सब्सीडाईज मूल्य'** पर विक्रय किये जाने के कोई तथ्य नहीं बताए है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है, फलतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलीय अधिकारी द्वारा स्थगित राशि के अलावा रूपये 81,37,216/– की वसूली कार्यवाही को इस शर्त के साथ स्थगित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप पर्याप्त जमानत (Adequate Security) उनके समक्ष इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के **तीन माह** में उनके समक्ष लम्बित अपील की सुनवाई करते हुए गुणावगुणों पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें । अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है। आदेश प्रसारित किया गया। **सदस्य** / **अध्यक्ष** **राजस्थान कर बोर्ड** / **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** / **अजमेर**	